अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 145/2019
निर्णय दिनांक : 18.10.2023

1. प्रताप पुत्र स्व नानगराम जाति मीणा
2. शंकरलाल पुत्र स्व नानगराम जाति मीणा
3. मन्नालाल पुत्र स्व नानगराम जाति मीणा
4. धन्नालाल पुत्र स्व नानगराम जाति मीणा

समस्त जाति निवासीगण राजरवालों की ढाणी ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र स्व0 रामपाल दत्तक पुत्र स्व0 रामू जाति मीणा, निवासी राजरवालों की ढाणी ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सागानेर।
3. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम पता– नगर निगम रोड सांगानेर जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् दुरूस्ती, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.56 हैक्टेयर, हैक्टयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 256

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 613 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 625 रकबा 0.61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 627 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 628 रकबा 0.57 हैक्टयर, खसरा नम्बर 631 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 632 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 633 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.44 हैक्टयर कुल किता 20 कुल रकबा 6.21 हैक्टयर का वादीगण का दावा साक्ष्य से सिद्ध नही किये जाने की स्थिति में अस्वीकार होकर खारिज किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत............
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर ... (राजस्थान)
ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 145/2019
निर्णय दिनांक : 18/16/2023

1. प्रताप पुत्र स्व नानगराम जाति मीणा
2. शंकरलाल पुत्र स्व नानगराम जाति मीणा
3. मन्नालाल पुत्र स्व नानगराम जाति मीणा
4. धन्नालाल पुत्र स्व नानगराम जाति मीणा

समस्त जाति निवासीगण राजरवालों की ढाणी ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र स्व0 रामपाल दत्तक पुत्र स्व0 रामू जाति मीणा, निवासी राजरवालों की ढाणी ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सागानेर।
3. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम पता– नगर निगम रोड सांगानेर जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् दुरूस्ती, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से पेश वाद पत्र बाबत् दुरूस्ती, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.56 हैक्टेयर, हैक्टयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 613 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 625 रकबा 0.61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 627 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 628 रकबा 0.57 हैक्टयर, खसरा नम्बर 631 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 633 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.[illegible] हैक्टयर, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

635 रकबा 0.44 हैक्टयर कुल किता 20 कुल रकबा 6.21 हैक्टयर ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है उक्त वर्णित कृषि भूमि वादग्रस्त है जिसे वाद पत्र मे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पिता नानगा एवं चाचा कल्याण के नाम अकित है, वादीगण के पिता नानगराम की दिनाक 14. 11. 2009 को मृत्यु हो चुकी है, वादीगण का चाचा कल्याण बाल्यकाल मे ही कुटुम्बी रामू के सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोद चला गया था, गोद जाने के पश्चात मतदाता सूची, राशनकार्ड, पहचान पत्र, विद्युत उपभोग बिल, राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी, चाचा कल्याण द्वारा सम्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो दिनाक 12.06.1987 (कार्यालय उपपंजीयक सांगानेर) इत्यादि समस्त दस्तावेजो मे चाचा कल्याण का नाम कल्याण पुत्र रामू अकित है चाचा कल्याण रामू की समस्त चल अचल सम्पति का स्वामी हो गया और रामू के पुत्र की हैसियत से रामू की समस्त चल अचल सम्पति का उपयोग उपभोग कर रहा है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1. प्रतिवादी संख्या 1 के दत्तक पिता रामू की जाति मीणा है, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, मीणा समाज मे प्रचलित परम्परा के अनुसार वादीगण का चाचा कल्याण कुटुम्बी रामू के यहा बाल्यकाल मे ही गोद चला गया तत्पश्चात चाचा कल्याण के अपने प्राकृतिक पिता रामपाल की समस्त चल अचल सम्पति से समस्त हित अधिकार समाप्त हो गये इसप्रकार चाचा कल्याण के वादग्रस्त भूमि से भी समस्त हक अधिकार समाप्त हो गये। वादीगण नानगराम के पुत्र है नानगराम की मृत्यु हो चुकी है, वादीगण नानगराम के विधिक वारिस होने के नाते नानगराम की समस्त चल अचल सम्पति के मालिक एवं स्वामी है और नानगराम की समस्त चल अचल सम्पति पर काबिज है इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है, प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 के गोद जाने के पश्चात वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही रहा है किन्तु राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो की गलती से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अकित है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाना आवश्यक है और वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे वादीगण का नाम अकित किया जाना आवश्यक है। जमीनो के भाव बढ़ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के मन मे बदनियती आ गयी प्रतिवादी सख्या 1 ने दिनाक 14.10.2019 को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी से अपना नाम हटाकर राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करवाने से को इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का विक्रय इत्यादि प्र[illegible] हस्तान्तरण करेगा प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनाक 14.10.2019 को वा[illegible] भूमि [illegible] रिकार्ड जमाबन्दी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाने तथा वादीगण का नाम अंकित करने से इन्कार कर दिया इसलिए वादीगण को मजबूर होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय मे वाद घोषणा, दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है इसप्रकार दिनाक 14.10.2019 को वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वाद पत्र अत्यावश्यक प्रकृति का है इसलिए वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को विधिवत नोटिस नही दिया जा सका है जिसकी छूट वास्ते से पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे –

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे अंकित कल्याण पुत्र रामपाल के नाम को हटाया जाकर राजस्व रिकोर्ड को दुरुस्त किया जावे । वादीगण को वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादगस्त भूमि (जिसका विवरण वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित है) का विकय इत्यादि प्रकार से हस्तानान्तरित न करें, वादीगण को वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित न करे प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे, प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त भूमि के किसी भी दस्तावेज का पंजीयन न करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील सूचना के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 13.01.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित रहे।

वादीगण ने दावे के समर्थन में साक्ष्य में प्रताप का शपथ पत्र pw-1, शपथ पत्र कमला देवी pw-2, शपथ पत्र गोपाल pw-3 व जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 वाके ग्राम वाटिका EX-1, विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1987 की प्रमाणित प्रति EX-2, विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1987 की प्रमाणित प्रति EX-3, राशन कार्ड का विवरण EX-4 व EX-5, निर्वाचक नामावली वर्ष 2022 विधानसभा क्षेत्र बगरू EX-6, मृत्यु प्रमाण पत्र नानगराम मीणा EX-7, बिजली बिल जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर EX-8 पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नही।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दावे में अंकित तथ्यों को दौहराते हुऐ वाद को डिक्री हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य ... का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील वादी की बहस का सम... ... पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पहुँचे है कि वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण का मुख्य अनुतोष बाबत् दुरूस्ती व घोषणा चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 13.01.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 के प्राकृतिक पिता रामपाल से रामू के गोद जाने के आधार पर वादीगण ने दुरूस्ती व घोषणा चाही है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के गोद चले जाने संबंधी साक्ष्य व सबूत पेश नही किए गए, वादीगण यह भी सिद्ध नहीं कर पाए कि प्रतिवादी संख्या 1 के प्राकृतिक पिता रामपाल व रामू अलग-अलग व्यक्ति है अथवा लिपीकीय त्रुटिवश एक ही नाम है। वादीगण यह भी सिद्ध करने में असफल रहे है कि प्रतिवादी संख्या 1 गोद चले जाने से अन्य व्यक्ति रामू की किस खातेदारी पर विरासत से हिस्सा हक अधिकार मे आया। वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

अतः आदेश किये जाते है कि ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.56 हैक्टेयर, हैक्टयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 613 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 625 रकबा 0.61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 627 रकबा 0. 25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 628 रकबा 0.57 हैक्टयर, खसरा नम्बर 631 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 632 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 633 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.44 हैक्टयर कुल किता 20 कुल रकबा 6.21 हैक्टयर का वादीगण का दावा साक्ष्य से सिद्ध नही किये जाने की स्थिति में अस्वीकार होकर खारिज किया जाता है। पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2023 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (सांगानेर)
जयपुर द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:13 IST
Reason: SelfAttested